अंत्योदय सरल

पशुपालन और डेयरी

अनुसूचित जाति के लिए पशुधन इकाईयों की स्थापना द्वारा रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने की योजना (under MMAPUY)

योग्यताः

1. आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष और वह हरियाणा का निवासी व अनुसूचित जाति से सम्बन्धित होना चाहिए।
2. आवेदक बेरोजगार होना चाहिए।
3. कोई अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता या प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होगी।
4. आवेदक के पास दुधारू पशुओं व सूकरों तथा भेड़/बकरी को रखने के लिए जगह/शैड होनी चाहिए।
5. किसी भी समूह / फर्म / संगठन को योजना के तहत आवेदन करने की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि यह योजना व्यक्तिगत लाभार्थी उन्मुख है।
6. इस योजना के तहत आवेदक को बेरोजगार होने और अन्य शर्तो का पालन करने के लिए स्वयं घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।

मिलने वाला लाभः

1. योजना के तहत वित्तीय सहायताः

- 2 दुधारू पशुओं की डेयरी इकाईयाँः दुधारू पशुओं की कुल कीमत की 50% सब्सिडी, जो कि लाभार्थी द्वारा 2 दुधारू पशुओं की डेयरी इकाई की स्थापना के लिए पशुओं की खरीद हेतु लोन के रूप में लिया गया है।
- 10+1 सूकर इकाई की स्थापनाः इस इकाई की स्थापना के लिए पशुओं की कीमत का 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में प्रावधान है। इसके तहत अधिकतम अनुदान राशि रूपये 50,000/- दी जा सकती है।
- 15+1 भेड़ बकरी इकाई की स्थापनाः इस इकाई की स्थापना के लिए पशुओं की कीमत का 90 प्रतिशत अनुदान के रूप में प्रावधान है। इसके तहत अधिकतम अनुदान राशि रूपये 88,200/- दी जा सकती है।

योजना के तहत बीमा हेतु वित्तीय सहायताः

बीमा सहायता वित्तीय वर्ष के दौरान कार्यान्वित विभागीय स्कीम की उपलब्धता के अनुसार प्रदान की जाएगी, अन्यथा पशुओं का बीमा लाभार्थी को स्वयं करवाना पड़ेगा एवं प्रीमीयम का भुगतान करना पड़ेगा।

आवश्यक दस्तावेजः

1. परिवार पहचान पत्र (PPP ID)
2. अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र
3. पैनकार्ड (अनिवार्य)
4. बैंक पास बुक / रद्द किया हुआ चैक अपलोड करें (अनिवार्य)

सेवा शुल्कः

सरकारी शुल्क	केन्द्र सेवा शुल्क	अटल सेवा केन्द्र (सी.एस.सी.) सेवा शुल्क
कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं

आरटीएस समय सीमाः आवेदन 30 कार्य दिवस में संबंधित सेवा क्षेत्र बैंक को भिजवा दिया जाएगा।